



क्रमांक /

/जि.प./MGNREGA/2012-13

कांकेर दिनांक

/08/2012

सफलता की कहानी

पिच्चेकट्टा नहर लाईनिंग से हुई रकबा में वृद्धि

किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए नहर से पानी न मिले तो विकास का रास्ता एकाएक अवरूद्ध हो जाता है। जल ही जीवन है। जल से ही किसानों का कृषि कार्य टिका हुआ है। नहरों से खेतों को अच्छा पानी मिले तो धान का औसत दो गुना बढ़ जाता है। इसी आस में हर किसान नहर लाईनिंग से खेतों में सिंचाई करता है। नहर लाईनिंग से किसानों को आवश्यकतानुसार सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है।

विकासखण्ड भानुप्रतापपुर पिच्चेकट्टा नहर लाईनिंग इसका उदाहरण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कांकेर द्वारा जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर के पत्र क्रमांक/ 1588/दिनांक 10.05.2008 आदेश के तहत 214.10 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के उपरान्त चैन क्रमांक 226 से 242 तक पिच्चेकट्टा नहर लाईनिंग का कार्य किया गया।

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हुई पिच्चेकट्टा नहर लाईनिंग की लंबाई 7.26 किमी है। पिच्चेकट्टा नहर लाईनिंग से अनुसूचित जनजाति 86 अनुसूचित जाति 22 अन्य पिछड़ा वर्ग के 68 मजदूरों को काम मिला। जिसका कुल मानव दिवस 64588 है। उक्त निर्माण कार्य मजदूरी में व्यय राशि 62.475 लाख, सामग्री में व्यय राशि 151.25 लाख रुपये।

सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित पिच्चेकट्टा नहर लाईनिंग से भानुप्रतापपुर के आस पास के गांव मुल्ला, चौगेल, कराची, पाण्डरपुरी, संबलपुर के किसान लाभांवित हुए। सिंचाई से किसानों के खेतों में 364 हेक्टेयर रकबा की अभिवृद्धि हुई है। सिंचाई के लिए सही समय में पानी मिलने से धान की पैदावारी में अभिवृद्धि हुई है। सिंचाई से खेत में नमी होने के कारण किसान चना, गेहू, अलसी, सरसों जैसे खरीफ फसलों से भी लाभांवित होते जा रहे हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

धृतीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग

महात्मा गांधी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

कार्य का नाम- पिचेकट्टा नहर लायनिंग कार्य

चैन क्र.: 226 से 242

एजेन्सी का नाम- कार्यपालन अभियंता

जल संसाधन संभाग कांकर

कार्य की लागत - रु. 15.22 लाख

दैनिक मजदूरी दर - रु. 122.00



